

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 08.06.2021

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल - 33 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. नन्द किशोर पुत्र लालता प्रसाद नि० तिवारीपुरवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 145 / 2021, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

02. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राम नारायण पुत्र संतराम नि० विशम्भरपुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 179 / 21, 02. माखनलाल पुत्र विश्वराम नि० रेकुम्मा मौजा विशम्भरपुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 180 / 21, 03. कर्ताराम पुत्र इन्दर नि० सेखुई थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 181 / 21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

03. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. गया प्रसाद पुत्र अलगू नि० तिवारी पुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 84 / 21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 08.06.2021

650 ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 08.06.2021 को थाना छपिया के उ०नि० कन्हैया दीक्षित मय हमराह के क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त विजय कुमार को अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया। जामातलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 650 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना छपिया में एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. विजय कुमार पुत्र बीपत नि० ग्राम चकचई थाना गौर जनपद बस्ती।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०- 167/21, धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 650 ग्राम अवैध गांजा।

गिरफ्तार कर्ता-

उ०नि० कन्हैया दीक्षित मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 08.06.2021

थाना खोड़ारे क्षेत्र के अन्तर्गत हुए हत्याकाण्ड का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 02/03.06.2021 को थाना खोड़ारे क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम अहिरौली निवासी मो० हद्दीस की धारदार हथियार से हत्या कर दी गयी थी। जिसके सम्बन्ध में मृतक की पत्नी श्रीमती सलीमुन्निशा द्वारा शक के आधार पर थाना खोड़ारे में 03 व्यक्तियों- 01.रोहित पुत्र बुधई, 02. बाबूलाल पुत्र बुधई नि०गण सीतारामपुर ग्रन्ट लोनियनडीह थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा, 03. मदनलाल उर्फ मादे पुत्र सकठू नि० फरेन्द्र बुजुर्ग थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इस सनसनीखेज घटना को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने प्रभारी निरीक्षक खोड़ारे को घटना का सफल अनावरण कर दोषी अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के कड़े निर्देश दिए थे तथा स्वाट / सर्विलांस टीम को भी घटना के खुलासे के लिए लगाया था।

पुलिस अधीक्षक के दिए गए निर्देशों के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री शिवराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक खोड़ारे द्वारा हत्याकाण्ड का सफल अनावरण करते हुए विवेचना के दौरान प्रकाश में आये 02 आरोपी अभियुक्तों 01. मोहित चौहान उर्फ महेन्द्र कुमार चौहान, 02. सुनील कुमार यादव पुत्र रामचन्द्र को गिरफ्तार कर दिनांक 07.06.2021 को जेल भेजा गया है। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर मुकदमें में नामजद आरोपी अभियुक्त रोहित चौहान को खोड़ारे पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 08.06.2021 को गौरा चौकी बस स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०- 73 / 21, धारा 302 भादवि० थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. रोहित चौहान पुत्र बुधई चौहान नि० सीतारामपुर ग्रन्ट लोनियनडीह थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार सिंह थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 08.06.2021

गैरइरादतन हत्या करने के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस ने मु0अ0सं0- 179 / 21, धारा 323,324,504,506,304 भादवि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तों- 01. अंशुल, 02. आयुष को मुखबिर खास की सूचना पर उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तों ने दिनांक 01.06.2021 को नाली के विवाद के चलते वादी मुकेश कुमार पुत्र पृथ्वीनाथ नि0 बरॉव थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा के पिता को लाठी-डण्डों से मारा-पीटा था। जिससे वादी के पिता गंभीर रूप से घायल हो गये थे जिनकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. अंशुल पुत्र जुगल किशोर नि0 बरॉव थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
02. आयुष पुत्र जुगल किशोर नि0 बरॉव थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-179 / 21, धारा 323,324,504,506,304 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

- उ0नि0 लाल साहब सिंह मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 08.06.2021

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में दिनांक 08.06.2021 को थाना वजीरगंज के उ०नि० उमाशंकर वर्मा मय हमराह के क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त हसनैन को अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया। जामातलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 10 पुड़िया अवैध ब्राउन शुगर बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना वजीरगंज में एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. हसनैन पुत्र सिद्धीक नि० ग्राम संचरही वार्ड नं० 24 कस्बा व थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०- 196/21, धारा 8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 10 पुड़िया अवैध ब्राउन सुगर।

गिरफ्तार कर्ता-

उ०नि० उमाशंकर वर्मा मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 08.06.2021

मनरेगा के नाम पर सरकारी धन का गबन करने वाली वांछित अभियुक्ता (पूर्व प्रधान) गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे ।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने मु0अ0सं0- 210 / 20, धारा 409 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता- सरोजन को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया । उक्त अभियुक्ता ने प्रधान पद पर रहते हुए मनरेगा कार्य के तहत मेड़ बन्दी कराने के नाम पर सरकारी धन का गबन किया था जिसके संबंध में खण्ड विकास अधिकारी बेलसर सदानन्द चौधरी पुत्र रामधनी चौधरी नि0 भूअर निरंजनपुर नगर जनपद बस्ती ने दिनांक 21.09.2021 को अभियोग पंजीकृत कराया था । अभियुक्ता को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय खाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्ता-

01. सरोजन पत्नी राजकुमार नि0 मरगूबपुर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 210 / 20, धारा 409 भादवि थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

थानाध्यक्ष करुणाकर पाण्डेय मय टीम।